25000

INDIA NON JUDICIAL

Rs.25000

RUPEES 25000

पच्चीस हजार रुपये

02DD 577782

विक्रय पत्र अंकन-28,40,000/-रूपये का:-

कुल स्टाम्प अंकन-2,84,000/-रूपये का:-

इस प्रकार दिया गया कि अंकन-1,13,900/-रूपये का स्टाम्प इकरार नामा महायदाभय दिनांक 20.4.2002 ई. को जिसकी पंजीकृत बही नम्बर-1 जिल्द-5056 के सफे 100 ता 104 मे नम्बर-1882 पर दिनांक 22.4.2002 ई. को कार्यालय सब रजिस्ट्रार गाजियाबाद मे दर्ज होकर हुई है दिया है व अंकन-1,70,100/-रूपये का अब बैनामे पर दिया है।

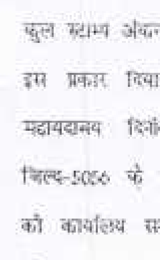

Attested
Anand Educational Society

17

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

25000

पच्चीस हजार रुपये

0200 577783

-2-

विक्रय भूमि का विवरण:-भूमि रकबई तीन बीघा ग्यारह बिस्वा पुख्ता भूमि स्थित ग्राम डासना परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद। कृषि भूमि है कृषि हेतु विक्रय की जा रही है विक्रय भूमि ग्राम समाज व पट्टे व भूदान आदि की नहीं है। कलैक्टर द्वारा निर्धारित दर-8,00,000/-रुपये प्रति बीघा पुख्ता का है।

सीमा विक्रय भूमि :-

पूरब - नाली व चकरोड.

Attested
Anand Educational Society

(Secretary) 18

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

02DD 577784

-3-

पश्चिम - सड़क,

उत्तर - भूमि आनन्द प्रकाश आदि,

दक्षिण - भूमि राम प्रकाश,

हम कि मेहर चन्द पुत्र श्री लाल सिंह निवासी ग्राम काजीपुरा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद प्रथम पक्ष विक्रेता ।

Attested
Anand Educational Society

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

02DD 577785

इस विक्रय पत्र मे विक्रेता के समस्त उत्तराधिकारी एंव वैधानिक व न्यायिक प्रतिनिधिगण सम्मिलित समझे जावेगे।

व आनन्द एजूकेशनल सोसायटी के-एम-135, कवि नगर गाजियाबाद पंजीकृत संख्या-1557 दिनांक 11.9.2001 द्वारा सचिव आनन्द प्रकाश पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी-के-एम-135, कवि नगर गाजियाबाद द्वितीय पक्ष क्रेता ।

Attested
Anand Educational Society
(Secretary)

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

02DD 577786

विदित हो कि ग्राम डासना परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद मे खाता संख्या-1230 के खसरा नम्बर-766 रकब्ई ग्यारह बिस्वा चार बिस्वांसी पुख्ता व खसरा नम्बर-768 रकब्ई तेरह बीघा छः बिस्वा चौदह बिस्वांसी पुख्ता कुल नम्बरान-2 योग रकब्ई चौदह बीघा चार बिस्वा पुख्ता भूमि मे मै प्रथम पक्ष विक्रेता 1/4 भाग की भूमि जो रकब्ई बकदर तीन बीघा ग्यारह बिस्वा ,पुख्ता है का मालिक व काबिज एंव संक्रमणीय भूमिधर हूं।उक्त नम्बरान मे मुझ प्रथम पक्ष विक्रेता के भाग की भूमि आज दिन तक हर

Attested
Anand Educational Society

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

26323

प्रकार के बंधक भाड़ व सरकारी देनदारी व अन्य लौन आदि से मुक्त है। कही अन्य जगह आड रहन बय हिबे महायदाबय आदि मे ग्रस्त नही है विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है। भूमि विक्रेता मे कोई दोष व त्रुटि नही है। हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है। विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है अतः अतः मैने अपनी खुशी व रजामन्दी शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियो की दशा मे भूमि रकबई तीन बीघा ग्यारह बिस्वा पुख्ता भूमि को मये तमामी हकूक मालकाना दाखली व खारजी हर किसम मये कब्जा आदि को आज की तारीख्गे बदले अंकन-28,40,000/-रुपये (अट्ठाईस लाख चालिस हजार रुपये

Attested
Anand Educational Society
(Secretary)

72

5000RS.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

26930

) आधे जिसके अंकन-14,20,000/-रुपये होते है मे बहक द्वितीय पक्ष क्रेता के बय कराई कर दी और बेच दी ओर कुल धनराशी क्रेता से निम्न प्रकार वसूल पा ली, कुछ बाकी नही रहा है अब इकरार यह है कि विक्रय भूमि की मिलकियत अथवा उसके मूल्यधन तथा किसी अंग से मुझ विक्रेता व वारसान विक्रेता का कोई सम्बंध बाकी नही रहा है और न कभी होगा। कब्जा मौके, पर क्रेता का वास्तविक रूप से करा दिया है जिससे वो पूर्णतःमालिक बन गये है उनको सर्वथा अधिकार होगा कि उक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे बहैसियत मालकाना प्रयोग मे लाकर लाभ उठावे, म्यूटेशन करे,

Attested
Anand Educational Society

5000RS

INDIA NON JUDICIAL

५000रु.

Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

26931

-8-

या करावे, सरकारी कागजपत्रो मे क्रेता का नाम मै विक्रेता दर्ज करा दूँगा वरना वो स्वयं इस विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज करालें। यदि विक्रय भूमि पर आज से पहला कोई भार मूल विक्रेता की ओर से निकला और निकला हुआ भार क्रेता को अपने पास से अदा करना पड़ा अथवा मूल विक्रेता व वारसान विक्रेता की दावेदारी अथवा किसी कानूनी नुकस की वजह से विक्रय भूमि या उसका कोई अंश कबजे क्रेता से निकल जावेगा तो हर ऐसी दशा के उपस्थित होने पर क्रेता को पूर्ण अधिकार होगा कि वह अपने पास से अदा किये गये

Attested
Anand Educational Society

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु. R^s 5000

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

27352

-9-

भार की अथवा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की धनराशी को मय हर्जे खर्चे मये सूद कानूनी के न्यायालय द्वारा मुझ विक्रेता व वारसान विक्रेता की चल अचल संपत्ति जात खास से जिस प्रकार चाहे वसूल करले। बाकरी

Attested
Anand Educational Society

25

5000Rs

INDIA NON JUDICIAL

५000रु.

Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

27353

कीमत यही है। मुझ विक्रेता ने उक्त नम्बरान में अपना 1/4 भाग सम्पूर्ण विक्रय किया है। विक्रय पत्र का समस्त व्यय क्रेता ने वहन किया है।

अतएव विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

Attested
Anand Educational Society

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु.

Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

27354

विवरण वसूल पाबी कुल धनराशी का:-अंकन-2,00,000/-रुपये का चैक नम्बर-410155 दिनांक 20.4.2002 दी वैश्य बैंक लिमिटेड नवयुग मार्केट

Attested
Anand Educational Society

77

27557

- 9 DEC 2002

गाजियाबाद का है पेशगी प्राप्त कर लिया व अंकन-40,000/-रुपये पेशगी व विक्रेता को अंकन-26,00,000/-रुपये का चैक नम्बर-384985 दिनांक 15.6.2003 पंजाब नेशनल बैंक नवयुग मार्किट गाजियाबाद का है पेशगी

Attested
Anand Educational Society
(Secretary)

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

- 9 DEC 2002

27550

वसूल पा लिया है के विषय मे यह भी मै क्रेता घोषणा करता हूँ कि नियत दिनांक 15.6.2003 ई. विक्रेता को वर्णित उक्त चैक का भुगतान प्राप्त नही हुआ तो विक्रेता इस विक्रय पत्र को अदालत द्वारा मन्सूख करा लेगा। जिसमे

Attested
Anand Educational Society

29

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु.

Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

27559

क्रेता को कोई आपत्ति

Attested
Anand Educational Society

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

नहा होगा।

गवाह-1

गवाह-2

दिनांक 9.12.2002 ई. मसौदा सी.बी. शर्मा एडवोकेट चैम्बर नम्बर-46,तहसील कम्पाउन्ड,गाजियाबाद।

GHAZIABAD ADVOCATE

Attested
Anand Educational Society
(Secretary)

32

<u>किरायानामा–</u>

<u>किरायानामा तीस वर्ष की अवधि के लिए, जिसपर स्टाम्प औसत वार्षिक किराये के छः गुणे मूल्य अंकन 9,900/– रूपया पर अंकन 1000/ रूपया का अदा किया गया है।</u>

यह किरायानामा आज **हाईटैक इन्स्टीटयूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी** ग्राम डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता **श्री अनिल मढवाल** पुत्र श्री सीताराम मढवाल निवासी 77डी, पॉकेट–सी, मयूर विहार, फेज–2, दिल्ली प्रथम पक्ष (किरायेदार) एवं **मैसर्स आनन्द एज्यूकेशनल सोसायटी** आर–2/83, राजनगर गाजियाबाद द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता **श्री आनन्द प्रकाश** पुत्र श्री [illegible] प्रकाश निवासी आर–2/83, राजनगर, गाजियाबाद द्वितीय पक्ष (मालिक सम्पत्ति) के मध्य किया गया।

इस प्रलेख में पक्षकारों के समस्त उत्तराधिकारीगण, वैधानिक प्रतिनिधि गण एवं स्थानापन्न सम्मिलित समझे जावेंगे।

विदित होकि खाली भूमि **क्षेत्रफल 22,538.75** वर्ग गज अर्थात 18844.64 वर्ग मीटर निम्न सीमा सम्बन्धित खसरा नम्बरान 766, 768 एवं 773 स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग–24, देहली हापुड बाईपास रोड, ग्राम डासना परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद की द्वितीय पक्ष सोसायटी उपरोक्त विक्रय पत्रों द्वारा क्रय करके अकेली मालिक और काबिज है। प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से उनकी उपरोक्त भूमि को इन्स्टीटयूट हेतु अंकन 1650/–रूपया (एक हजार छःसौ पचास रूपया) वार्षिक किराये की दर से **दि0 01–01–2006 ई0 से तीस वर्ष की अवधि** के लिए निम्न लिखित शर्तो पर किराये पर ली हुई है, लेकिन लिखित मे कोई प्रलेख न होने के कारण यह किराया नामा आज की तिथि में निष्पादित किया जा रहा है। निम्नलिखित शर्ते पक्षकारों ने अपनी खुशी, रजामंदी, शुद्ध बुद्धि, स्वस्थ इन्द्रियों से बिना किसी बहकाव व धमकाव के प्रभावित होते हुए तय की है, जिनके पक्षकारान व उनके उत्तराधिकारीगण पाबन्द रहेंगें।

1– यह कि पक्षकारों के मध्य उक्त वर्णित भूमि की किरायेदारी दिनांक 01–01–2006 ई0 {एक जनवरी सन दो हजार छः ई0} से प्रारम्भ हुई है, जो तीस वर्ष की अवधि के लिए अर्थात दिनांक 31–12–2035 ई0 {इकत्तीस दिसम्बर सन दो हजार पैंतीस ई0} तक कायम रहेगी।

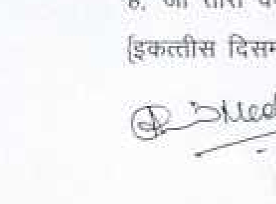

2- यह कि पक्षकारों के मध्य उक्त वर्णित भूमि का किराया अंकन 1650/- रूपया (एक हजार छः सौ पचास रूपया) वार्षिक तय पाया है दौरान मियाद किरायेदारी किराये में कम या अधिक करने का अधिकार किसी भी पक्ष को नहीं होगा।

3- यह कि प्रथम पक्ष तय शुदा किराया अंकन 1650/- रूपया (एक हजार छः सौ पचास रूपया) हर वर्ष पेशगी द्वितीय पक्ष को अदा करते रहेंगे।

4- यह कि प्रथम पक्ष किरायेदार किराये पर ली हुई उपरोक्त भूमि पर अपनी आवश्यकता अनुसार अपने इन्स्टीटयूट के लिए किसी प्रकार का कोई स्थायी अथवा अस्थायी निर्माण कर सकेंगे।

5- यह कि प्रथम पक्ष किरायेदार उपरोक्त भूमि में किसी अन्य को शिकमी किरायेदार आबाद नहीं करेंगे यदि ऐसा करेंगे तो प्रथम पक्ष व शिकमी किरायेदार दोनों बेदखली के योग्य होंगे।

7- यह कि प्रथम पक्ष बाद समाप्ति मियाद किरायेदारी तीस वर्ष उक्त भूमि को अपने कब्जे किरायेदारी से खाली करके द्वितीय पक्ष का कब्जा वास्तविक रूप से करा देंगे अन्यथा प्रथम पक्ष हर दशा में बेदखली के योग्य होंगे।

8- यह कि दौरान मियाद किरायेदारी समय पर किराया अदा करते रहने की दशा में द्वितीय पक्ष उक्त भूमि को प्रथम पक्ष से खाली नहीं करा सकेंगे।

Sanjay Kum r B

Ghazi.

9– यह कि यदि प्रथम पक्ष दौरान मियाद किरायेदारी उपरोक्त भूमि का अपने कब्जे किरायेदारी से छोडना चाहेंगे तो एक माह पूर्व लिखित म सूचना देकर उक्त भूमि को अपने कब्जे किरायेदारी से खाली करक द्वितीय पक्ष का कब्जा वास्तविक रूप से करा देंगे।

10– यह कि दोनों पक्षों के मध्य उत्पन्न हर विवाद का निबटारा जनपद गाजियाबाद न्यायालय द्वारा ही कराया जा सकेगा।

अतःयह किरायानामा तीस वर्ष की अवधि के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

<u>सीमा उपरोक्त भूमि–</u>

पूरब–	नाली व चकरोड,
पश्चिम–	राष्ट्रीय राजमार्ग–24,
उत्तर–	भूमि मिलकियती श्री आनन्द प्रकाश आदि,
दक्षिण–	भूमि मिलकियती श्री राजप्रकाश,

Sanjay K

Ghaziabad

गवाहः

{फूलचन्द}

पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी 108ए,
शालीमार बाग, बी.डी. पलैट मिल के पीछे,
अम्बाला कैन्ट।

गवाहः

{चन्द्र शेखर}

पुत्र श्री ऊदल सिंह निवासी
ग्राम व डा0 बारगांव,
जिला बुलन्दशहर।

Sanjay Kumar

Ghaziaba

दिनांकः 24–06–2006 ई0,
मसौदा संजय कुमार बंसल एडवोकेट
90, तहसील कम्पाउन्ड, गाजियाबाद।

24/6/06

Sanjay Kumar Bansal
Advocate
Ghaziabad